दैनिक दबंग दुनिया, भोपाल

3 JAN 2015

नव वर्ष में भारत में विकास का नया अरुणोदय

परिवर्तन सृष्टि का अडिग और शाश्वत नियम है। प्रकृति कभी जड़ता की सीमा तक स्थायित्व को सहन नहीं करती। जो भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र परिवर्तनशील नहीं होता उसका विकास रुक जाता है। विश्व में हो रहे बदलाव के संदर्भ में राष्ट्र के स्तर पर लगातार बदलाव होते रहना ही राष्ट्र के हित में होता है। एक जनवरी 2015 की नई सुबह भारत ने सहकार और लोकतांत्रिक मूल्यों आधारित विकास के नए युग में आंखें खोली हैं। यह युग प्रवर्तक परिवर्तन भारत योजना आयोग के स्थान पर बनाए गए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉरमेटिंग इंडिया के रूप में आया है।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री मप्र

वर्ष 1952 में उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के चहुंमुखी विकास के लिए जिस योजना आयोग का गठन किया था, वह उस दौर की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के संदर्भ में ठीक था। आजादी के बाद देश का जो विकास हुआ उसमें आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विकास के नियोजन और योजनाओं के निर्माण तथा क्रियान्वयन में योजना आयोग ने काफी हद तक अच्छा काम किया। लेकिन बीते कुछ दशकों में, विशेष कर 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद योजना आयोग के वर्तमान स्वरूप के अस्तित्व की प्रासंगिकता लगातार खत्म होती चली गई। लोकतंत्र में विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं। यह बात लगातार महसूस की जा रही थी कि केन्द्र में सत्ताधारी दल के राजनीतिक हितों के संवर्द्धन में आयोग के राज्यों के साथ राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह सहायक होने लगे थे। धनराशि के आवंटन में इसी कारण राज्यों के साथ भेदभाव की बात तीव्रता महसूस की जा रही थी।

इसके साथ-साथ योजना आयोग की कार्य-प्रणाली में लोकतांत्रिक भावना का अभाव हो गया था। योजना निर्माण की प्रक्रिया में राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली चर्चा रस्मी हो गई थी। योजनाएं केन्द्र से बनाकर राज्यों को भेजी जा रही थीं। इनमें राज्यों की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं का ध्यान नहीं रखा जाता था। इसी कारण योजनाओं का वांछित लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा था। मैं लगातार यह बात अनेक मंचों से कहता आ रहा हूं, जिस तरह हर मर्ज की एक दवा नहीं हो सकती उसी तरह हर राज्य के लिए एक समान योजना नहीं हो सकती। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के विषय में यह बात ज्यादा लागू होती है।

नई सोच वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योजना आयोग की जगह जो नीति आयोग बनाया है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका गठन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार-विमर्श कर और उनके सुझाव लेकर किया गया है। इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्रियों और केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों को जगह मिली है। इससे राज्यों के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी।

नई व्यवस्था की एक और विशेषता यह है कि राज्यों के बीच उलझे हुए मुद्दों के समाधान के लिए इसमें क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। इसके कारण अब विकास में बाधक बनने वाले मुद्दों का तेजी से समाधान हो सकेगा और राज्य अपना विकास करते हुए राष्ट्र के विकास में अधिक सक्रियता और तत्परता से योगदान कर सकेंगे। नई व्यवस्था में ग्राम स्तर पर योजनाएं तैयार करने की पहल बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश में हमने यह काम पहले ही कर लिया है। प्रदेश के गांवों के विकास के लिए मास्टर प्लान ग्रामीणों के सुझाव, सहमति और भागीदारी से बनाए गए हैं। इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यह खुशी की बात है कि नया आयोग पूरे देश में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। इससे प्रत्येक गांव में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए उनका ज्यादा तेजी से विकास संभव हो सकेगा।